भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4255

(19 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमजीएसवाई दिशानिर्देशों का पालन न करना

4255. श्री एम. के. राघवन:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल में दिशानिर्देशों के किसी उल्लंघन की जानकारी है , क्योंकि राज्य सरकार के अधिकारियों ने पीएमजीएसवाई I V के लिए सांसदों की प्राथमिकता सूची के आधार पर स्वीकृत सड़कों का केवल 60% और विधायकों से शेष 40% आवंटित करने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पीएमजीएसवाई I V के दिशानिर्देशों में विधायकों के सुझावों के अलावा उनकी प्राथमिकता सूची प्राप्त करना अनिवार्य है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार के पास यह निगरानी करने के लिए कोई तंत्र है कि राज्य सरकार के अभिकरण कार्यान्वयन के दौरान पीएमजीएसवाई के दिशानिर्देशों का पालन कर रही हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि पीएमजीएसवाई- III के तहत कोझिकोड लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा निर्माणाधीन सड़कों का कोई औपचारिक शिलान्यास समारोह आयोजित नहीं किया गया है; और

(च) यदि हाँ , तो दिशानिर्देशों के इस उल्लंघन के संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(छ) परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान पर्यावरण संबंधी अनुपालन की निगरानी किस प्रकार की जा रही है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (ग) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) ।V के कार्यान्वयन हेतु विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। दिशानिर्देशों के अनुसार , जिला ग्रामीण सड़क योजना (डीआरआरपी) को अद्यतन किया जाना है और माननीय संसद सदस्यों से प्राप्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए , संपर्क रहित बस्तियों की व्यापक नई संपर्कता प्राथमिकता सूची (सीएनसीपीएल) का मसौदा तैयार किया जाना है। पीएमजीएसवाई ।V के कार्यक्रम दिशानिर्देशों के पैरा 5.5 के अनुसार, सीएनसीपीएल तैयार और सत्यापित होने के बाद , इसे जिला पंचायत के समक्ष रखा जाएगा। माननीय संसद सदस्यों /विधायकों को सीएनसीपीएल की एक प्रति दी जाएगी और उनके सुझावों तथा निचले स्तर की पंचायती राज संस्थाओं के सुझावों पर जिला पंचायत द्वारा अनुमोदन प्रदान करते समय पूर्ण विचार किया जाएगा। इसके अलावा, पीएमजीएसवाई । के कार्यक्रम दिशानिर्देशों के पैरा 5.6 के अनुसार, जिला पंचायत द्वारा सीएनसीपीएल के अनुमोदन के बाद , प्रस्ताव परियोजना कार्यान्वयन इकाई (पीआईयू) द्वारा राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी (एसआरआरडीए) को भेजे जाएँगे। उस समय, पीआईयू माननीय सांसदों द्वारा उनकी सहमति से प्रारूप एमपी- 1 में भेजे गए प्रस्तावों का विवरण और प्रारूप एमपी- ।। में उन पर की गई कार्रवाई का विवरण तैयार करेगा , जिसमें प्राथमिकता और अन्य विवरण दर्शाए जाएँगे , और उसे प्रस्तावों के साथ भेज देगा। उन सभी मामलों में जहाँ माननीय सांसदों का प्रस्ताव शामिल नहीं किया गया है , जिला पंचायत द्वारा प्रारूप एमपी-।। में दिए गए कारणों के आधार पर ठोस कारण दिए जाएँगे।.

इसके अलावा, कार्यक्रम दिशानिर्देशों के पैरा 5.7 के अनुसार एसआरआरडीए प्रस्तावों की जांच करेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं और उन्हें एमपी- । और एमपी-।। विवरणों के साथ राज्य स्तरीय स्थायी समिति (एसएलएससी) के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

कार्यक्रम दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 5.8 के अनुसार, राज्य स्तरीय समिति (एसएलएससी) प्रस्तावों की जाँच करेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं और माननीय सांसदों के प्रस्तावों पर पूर्ण विचार किया गया है। उन सभी मामलों में जहाँ माननीय संसद सदस्यों के प्रस्तावों को शामिल नहीं किया गया है , उन्हें ठोस कारण बताए जाएँगे और इन्हें राज्य स्तरीय समिति (एसएलएससी) की कार्यवाही में दर्ज किया जाएगा। राज्य स्तरीय समिति (एसएलएससी) द्वारा जाँच के बाद , परियोजना कार्यान्वयन इकाई (पीआईयू) प्रत्येक प्रस्तावित सड़क कार्य के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करेगी।

केरल राज्य सरकार द्वारा अभी तक पीएमजीएसवाई I V के अंतर्गत मंत्रालय को कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। राज्यों द्वारा प्रस्तावों को केंद्र सरकार को स्वीकृति हेतु व्यवहार्य बैचों में प्रस्तुत किया जाता है। पीएमजीएसवाई I V के कार्यान्वयन की समय-सीमा मार्च , 2029 तक है।

(घ) जी हाँ, राज्य द्वारा तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डीपीआर) की राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी (एनआरआईडीए) द्वारा विधिवत जाँच की जाती है , जिन्हें फिर पीएमजीएसवाई कार्यक्रम दिशानिर्देशों के अनुसार संस्थागत तैयारियों , तकनीकी और गुणवत्ता संबंधी मुद्दों की समीक्षा के लिए ग्रामीण विकास विभाग के सचिव की अध्यक्षता वाली अधिकार प्राप्त समिति के समक्ष रखा जाता है। मंत्रालय ने राज्यों से यह भी अनुरोध किया है कि एसएलएससी माननीय संसद सदस्यों के साथ परामर्श करके कार्यक्रम दिशानिर्देशों के अनुपालन की जाँच करे। राज्यों को माननीय संसद सदस्यों से प्राप्त प्रस्तावों और उन पर की गई कार्रवाई का उल्लेख करते हुए क्रमशः एमपी- । और एमपी-।। प्रारूप ओएमएमएएस पर अपलोड करने होंगे।

(ड.) से (च) मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 28.07.2011 के परिपत्र के अनुसार, कार्यक्रम से जुड़े सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को शिलान्यास और उद्घाटन समारोहों में विधिवत आमंत्रित किया जाना चाहिए। इसमें यह भी उल्लेखनीय है कि शिलान्यास और सड़क का उद्घाटन माननीय संसद सदस्य (लोकसभा) द्वारा किया जाना चाहिए और राज्य प्रोटोकॉल के अनुसार स्थानीय मंत्री या अन्य गणमान्य व्यक्ति द्वारा समारोह की अध्यक्षता की जानी चाहिए। यह एड़वाइजरी 3 फरवरी, 2022 को पुन: राज्यों के लिए जारी किया गया है।

कोझिकोड जिले में , पीएमजीएसवाई के विभिन्न कार्यकलापों के तहत स्वीकृत कुल 392 किलोमीटर सड़क लंबाई में से 342 किलोमीटर सड़क पहले ही पूरी हो चुकी है। मंत्रालय निर्वाचन क्षेत्रवार परियोजना विवरण नहीं रखता है। केरल राज्य ने सूचित किया है कि चूँकि कोझिकोड लोकसभा क्षेत्र में अधिकांश कार्य लगभग पूरे होने वाले हैं , इसलिए सड़कों के उद्घाटन के लिए कदम उठाए जाएँगे।

(छ) चूँकि पीएमजीएसवाई सड़कें आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में बनाई जाती हैं , इसलिए आमतौर पर पर्यावरण विभाग से एनओसी लेने की आवश्यकता नहीं होती है। पीएमजीएसवाई राज्यों को नई/हरित तकनीकों जैसे कोल्ड-मिक्स , सतही मार्ग में अपशिष्ट प्लास्टिक , फुल डेप्थ रिक्लेमेशन आदि के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करता है , जिससे कच्चे माल/प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होता है। हालाँकि , जिन मामलों में प्रस्तावित सड़क संरेखण वन भूमि/संरक्षित क्षेत्रों से होकर गुजरता है , वहाँ विधि के अनुसार वन विभाग से आवश्यक एनओसी प्राप्त की जाती है।

***